सचिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद. उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में

> यामीण एवं शहरी विकास शिक्षा समिति, सरसौली कैण्ट. वाराणसी।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2017/ 182 91

लखनऊ:दिनांक 21-6-(7

विषय:— संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 1-06-2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें। उपरोक्त के कम में अवगत कराया जाना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सिविल अपील संख्या 9408/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2012 के अनुपालन में किसी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यकम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है एवं इस हेतु कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 10 अप्रैल/30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि इस संबंध में आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करायें एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत पत्र की हार्डकॉपी के साथ प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर निरीक्षण शुल्क सहित परिषद कार्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार तत्समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्रदान होने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आपके संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।

यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रकिया यथा निरीक्षण आदि पूर्ण करने पर यदि संस्थान को उपयुक्त पाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्थान को परिषद द्वारा सत्र

प्रदान नहीं की जायेगी। उपरोक्तानुसार फार्मेसी काउन्सिन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को अवगत कराना गया प्रवेश मान्य होगा। निर्धारित तिथि के समाप्त हो जाने पर संस्था को उस सत्र में प्रवेश की अनुमति जाने के उपरांत एवं फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरांत ही संस्था द्वारा लिया द्वारा निर्धारित प्रवेश तिथि के अंदर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये 2018—19 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, एवं परिषद को कोई आपित्ति नहीं होगी। मा० उच्यतम न्यायालय

किये जाने पर ही मान्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्गत अनापित प्रमाण-पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शतों को पूर्ण

भवदीय,
्रि (संजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपः-निम्नित्थित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-पृ०सं० - प्राशिप / परिषद / 2017 / 1. रजिस्ट्रार-कम-सेकेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउसिल बिल्डिंग, टेम्पल तद्दिनाक—

2- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पशिषद, नेलसन मण्डेला मार्ग, बसंत कुंज, नई कार्यवाही हेतु प्रेषित। लेन, कोटला रोड, एवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊः दिनॉकः 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019—20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14—5—2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019—20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यकम / प्रवेश क्षमता वृद्धि / कमी हेतु सत्र 2019—20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यकम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर

निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुकम में संलग्नक—2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेंसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया और सर्वसम्मित से संलग्नक—2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019—20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019—20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय—विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019—20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:—

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० / प ी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019—20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019—20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4868	मिशन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वाराणसी	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

√ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यकमों हेतु रू० 30,150.00 / — प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम हेतु रू० — 45,000.00 / — प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम के अतिरिक्त) हेतु रू० — 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र / छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019—20 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

√ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना)
विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

√ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह
जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

√ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

√ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेत् अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलेंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के

माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

√ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

√ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि, स्टाफ, साज—सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

🗸 संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त

आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि—भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

🗸 सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह) सचिव

पृ०सं० प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2019 / 1133 – 2252 प्रतिलिपि: – प्रधानाचार्य / निदेशक, मिशन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वाराणसी तद् दिनॉकः 15—5—2019

संजीव कुमार सिंह)

सचिव